कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत आवेदन–पत्र

दिनांक–.....

विकास खण्ड का नाम : .....जनपद का नाम .....

1. कार्य का नाम : कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पामारोजा/ लेमनग्रास/वेटिवर/बाँस/सहजन का पौधरोपण (किसी एक पर टिक करें)

2. ग्राम पंचायत का नाम : .....

3. लाभार्थी का नाम : .....

4. कार्य की माप (एकड़ में) : .....

5. गाटा संख्या : .....

6. वर्ष : .....

7. अनुमानित लागत (रू0 में) : .....

लाभार्थी/आवेदक का नाम

मो0नं0– .....

पता– .....

.....

Facilitators/हस्ताक्षरकर्ता

मो0नं0–.....

पता– .....

.....

<u>ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनाये जाने हेतु प्रस्ताव</u>

प्रस्तुत प्रॉक्कलन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या..............................

श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड .... के निर्देशानुसार तैयार कराया गया है। प्रस्तावित कार्य मनरेगा की कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा। बाँस के रोपण हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी जो कि बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिसुधार, इंदिरा आवास, महिला प्रमुख परिवार, विकलांग परिवार, लघु एवं सीमान्त कृषकों की पात्रता श्रेणी रखते हैं। कार्य कराये जाने वाले क्षेत्रफल में लाभार्थी स्वयं अपने खेतों में काम कर सकेंगे। कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत एक एकड़ में बांस के 400 पौधों का रोपण किये जाने की अनुशंसा है। इसके लिए क्यारी से क्यारी की दूरी 10 फिट और पौधे से पौधे की दूरी 10 फिट होनी चाहिए। इसका रोपण प्रायः वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिये। बांस के रोपण से तीसरे वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इससे तीसरे वर्ष से लेकर 45 वर्ष से बढ़ते हुए क्रम रू0 1.00 लाख से अधिक प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त होता रहता है। पुराने बांस की पुतिया से पौधे तैयार कर बिक्री कर कृषक अतिरिक्त आमदनी करते हैं। साथ ही इसमें मुख्य खर्च प्रथम वर्ष में ही होता है। बांस का रोपण में उन्नत किस्म के पौध रोपण सामग्री का उपयोग उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के तकनीकी सहयोग से किया जायेगा।

बांस का पौधा घास फसलों के परिवार का सबसे अधिक वृद्धि करने वाला सदस्य है। यह कई रूपों मे पाया जाता है । तथा अत्यधिक मजबूत व पर्यावरण प्रिय होने के कारण इसका उपयोग वर्तमान समय में अधिक किया जाता है। भारत में बांस की विभिन्न प्रजातियॉं पाई जाती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति की विशेषताए भी भिन्न है । एक बार रोपण करने से बांस की फसल लगभग 35 वर्ष या उससे अधिक वर्षो तक बांस को उत्पन्न कर सकती है। इसकी लकडी की कैलोरिफिक वैल्यू अधिकतम व राख की मात्रा एक प्रतिशत से भी कम होती है इसी गुणवत्ता के कारण इसकी लकडी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, ब्रीकेट व पैलेट बनाने में व चारकोल आदि की निर्माण में किया जा सकता है। बांस के अत्यधिक उपयोग है तथा इसकी क्षमता और भी अधिक विकसित की जा सकती है। प्राचीन समय में बांस का उपयोग कागज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में ही किया जाता था । परन्तु वर्तमान समय से इसका उपयोग ऊर्जा स्त्रोत के साथ–साथ फर्नीचर उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, कक्ष सं0–534–535, योजना भवन, लखनऊ द्वारा परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में प्रदेश स्तर पर समस्त आवश्यक तकनीकी एवं विपणन समन्वय प्रदान किया जाता है। प्रस्तावित कार्य से जाब–कार्ड धारक स्थानीय अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। पात्रता श्रेणी रखने वाले गरीब ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का जरिया मिल सकेगा, जिससे किसानों आय में बढ़ोत्तरी होगी और वह अपनी जीविका हेतु बेहतर संसाधनों को प्राप्त करेंगे। शुद्ध रूप से बोये गये क्षेत्रफल में जी0डीपी0 में कृषि का अंश बढ़ेगा। साथ ही उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार में बढ़ोत्तरी होगी तथा मूल्य सम्वर्धन इकाइयों द्वारा क्लस्टर एप्रोच से अधिक उत्पादन होने के कारण ग्रामीण स्तर पर ट्रेडिंग के जरिये स्वरोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी होगी।

प्रस्तुत प्रॉक्कलन के निर्माण में मनरेगा की दरों और विशिष्टियों का प्रयोग किया गया है।

- यह परियोजना फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के सदस्य किसानों के खेत पर क्रियान्वित की जायेगी।
- मनरेगा लाभार्थी श्रेणी के अन्य किसानों (यदि कृषक उत्पादक कम्पनी का सदस्य नहीं है) पर क्रियान्वित की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी उसे मोटिवेट कर कम्पनी का शेयर होल्डर बनाते हुए विधायन तथा विपणन सम्बन्धित समस्त सहयोग प्रदान करेगी।

राज्य समन्वयक / सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
नियोजन विभाग, उ0प्र0

DETAILS OF MEASUREMENT (माप का विवरण)

कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत बांस का रोपण

कार्य स्थल का नाम एवं गाटा संख्या					
क्षेत्रफल (हे0)	0.400				
क्र0सं0	मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यकलाप	हे0	श्रमिकों की संख्या/मात्रा	माप की इकाई	श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत
1	पौधरोपण हेतु तैयारी (One time)	0.400	10	मानव दिवस	M
2	मेड़बन्दी कार्य (One time)	0.400	16	मानव दिवस	M
3	न्यूट्रियन्ट इनपुट डालने हेतु श्रमिक (One time)	0.400	10	मानव दिवस	M
4	क्यारियॉ एवं गड्ढों का निर्माण (One time)	0.400	40	मानव दिवस	M
5	पौध रोपण कार्य एवं स्टेकिंग (One time)	0.400	20	मानव दिवस	M
6	पौध कीट एवं बीमारी सुरक्षा सामग्री (One time)	0.400	1	मानव दिवस	M
7	खाद (एन0पी0के0) (One time)	0.400	2	PKT	M
	व्यक्तिगत कार्यकलाप				
8	सिंचाई कार्य	0.400	6	स्वयं	I
9	निराई–गुड़ाई का कार्य	0.400	15	स्वयं	I
10	प्रबन्धन	0.400	10	स्वयं	I
11	तकनीकी निरीक्षण क्रमिक व्यय	0.400	15	स्वयं	I
	कन्वर्जेन्स विभाग कार्यकलाप				
12	तकनीकी सपोर्ट एवं विपणन सपोर्ट				CD

<u>इकाई से आशय</u>– PLANT-पौध, PKT-पैकेट, BATCH-सामग्री की एक शिफ्ट, LITRE-लीटर

<u>श्रेणी विभाग/व्यक्तिगत से आशय</u>– M-मनरेगा, I-व्यक्तिगत, CD-कन्वर्जेन्स डिपार्टमेण्ट

(पी0 के0 ओझा)
राज्य समन्वयक/सदस्य सचिव
उ0प्र0 राज्य ग्राम ऊर्जा विकास बोर्ड
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

बिल की मात्रा (BILL OF QUANTITY)

कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत बांस का रोपण

क्रं0 सं0	मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यकलाप	संख्या	माप की इकाई	दर	मूल्य	श्रेणी विभाग / व्यक्तिगत
1	पौधरोपण हेतु तैयारी (One time)	10	मानव दिवस	201.00	2010.00	M
2	मेड़बन्दी कार्य (One time)	16	मानव दिवस	201.00	3216.00	M
3	न्यूट्रियन्ट इनपुट डालने हेतु श्रमिक (One time)	10	मानव दिवस	201.00	2010.00	M
4	क्यारियॉ एवं गढ्ढों का निर्माण (One time)	40	मानव दिवस	201.00	8040.00	M
5	पौध रोपण कार्य एवं स्टेकिंग (One time)	20	मानव दिवस	201.00	4020.00	M
6	पौधरोपण सामग्री की लागत (One time)	400	पौध (संख्या)	40.00	16000.00	M
7	NPK- 12:32:16 (One time)	4	पैकेट	1150.00	4600.00	PKT
			कुल योग		39896.00	
	व्यक्तिगत कार्यकलाप					
8	सिंचाई कार्य	6	स्वयं	201.00	1206.00	I
9	निराई–गुड़ाई का कार्य	15	स्वयं	201.00	3015.00	I
10	पौध कीट एवं व्याधि सुरक्षा का छिड़काव	1	स्वयं	201.00	201.00	I
11	प्रबन्धन	10	स्वयं	201.00	2010.00	I
			कुल योग		6432.00	
	कन्वर्जेन्स विभाग कार्यकलाप					
12	तकनीकी सपोर्ट एवं विपणन सपोर्ट					CD
			महायोग		46328.00	

श्रेणी विभाग / व्यक्तिगत से आशय– M-मनरेगा, I-व्यक्तिगत, CD-कन्वर्जेन्स डिपार्टमेण्ट

स्पष्ट करना है;

1. Category कृषि कार्य NRM Agri/Allied
   260 work में दर्ज : क्रम संख्या–129– Block Plantation of Farm Forestry Trees in fields for Individuals . कार्य की आई0डी0 (IF) में निकाली जायेगी।
2. 60 : 40% Ratio बिगड़ने पर समान्तर मृदा कार्य सम्पन्न कराएंगे।
3. एस्टीमेट मैन्युवल बनाया जायेगा, सेक्योर से नहीं बनाया जायेगा।